कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली।

संख्या 10(1) / रा0सहा0—18 दिनांक 30-6- 2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
बरेली मण्डल बरेली।

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या—सी0बी0एस0ई0 / 2498—99 / 2018—19 दिनांक ... 2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो कि उडान वर्ल्ड स्कूल तिवारी रिछोला फार्म बहेड़ी जिला बरेली को सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0सी0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड—2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप भवन की उपयुक्तता के संबंध में प्रमाण पत्र निर्गत करने के दृष्टिगत आख्या उप जिलाधिकारी बहेडी, अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. बरेली एवं संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ से आख्याऐं प्राप्त की गयी। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी बरेली ने अपने कार्यालय पत्र सं0—सीएफओ0 / मिस—2018 / 465 दिनांक 28.06.2018 में उल्लेख किया है कि यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना है तो आनलाइन आवेदन किया जाना होगा। किन्तु पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 मु0... / 17539 / बरे0 / बरेली / 590 / जे0डी0 / 33 दिनांक 01.02.2016 द्वारा पूर्व में ही अनापत्ति प्रमाण पत्र ... किया गया है।

संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ ने अपनी आख्या पत्र सं0 ... 2016 / 17539 / बरे0 / बरेली / 590 / जे0डी0 / 33 दिनांक 01.02.2016 में अंकित किया है कि ... निर्माणधीन भवन हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण / परीक्षण अग्निशमन अधिकारी श्री राधेश्याम सिंह द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार कराया गया तो उनकी निरीक्षण संस्तुति आख्या दिनांक 27.01.2016 तथा उपनिदेशक फायर सर्विस बरेली / मुरादाबाद परिक्षेत्र की परीशीलन आख्या दिनांक 30.01.2016 ... संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा परीशीलन किया गया, जो निम्नवत है:

भवन की संरचना—

1—कुल भूखण्ड ऐरिया—8112.54 वर्गमीटर।
2—निर्मित भूतल कवर्ड ऐरिया—1492.10 वर्गमीटर।
3—भवन की ऊचाई—4.00 मीटर।

2—भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी—प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की शैक्षिक श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

3—वाह्यगत व्यवस्थाऐं—

1—पहुँचमार्ग—प्रश्नगत विघालय भवन के सामने 12.00 मीटर चौड़ी रोड उपलब्ध है।
2—प्रवेश द्वार—प्रश्नगत विघालय भवन के प्रवेश द्वार की चौडाई —4.50 मीटर है।

4—सैटबैक—

अ.— अग्रभाग—6.50 मीटर।
ब.— पृष्ठभाग— 6.50 मीटर।
स.— पार्श्व— I— 6.50 मीटर।
द.—पार्श्व— II—6.50 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन नियमावली के अनुसार है, सैटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई / अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

5—निकास मार्ग—प्रश्नगत भवन मे 01 स्टेयरकेश जिसकी चौडाई—2.00 मीटर है जिनकी फ्लोर के सभी स्थानों से ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

6—अग्नि सुरक्षा व्यवस्था—प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0—2005 के सुसंगत प्राविधानो के अनुसार निम्न अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पायी गयी:—

1—प्राथमिक अग्निशमन उपकरण— प्रश्नगत भवन मे प्राथमिक अग्निशमन उपकरण आई0एस0 2190 के ...
2—एक्जिट साइनेज—प्रश्नगत भवन मे एक्जिट साइनेज मानको के अनुसार।
3—पी0ए0—सिस्टम—पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्रश्नगत भवन में मानको के अनुसार।

उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओ के आधार पर रिछोला फार्म तिवारी बस्ती ... बहेड़ी जनपद बरेली पर निर्मित उडान वर्ल्ड स्कूल भवन को अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्न शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है:—

1—प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाये रखा जाये।
2—प्रश्नगत भवन मे अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3—भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना ... स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी त्रुटि का निवारण किया जाये।
4—प्रत्येक छः माह में एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियो को मॉक ड्रिल / फायर कराकर ... इमरजेन्सी इवेक्वेशन प्लान बनाकर जाये इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियो को प्रदान करायी जाय।

5–वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन मे जीवन रक्षा फायर प्रिवेशन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
6–भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने के पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा, अन्यथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

उप जिलाधिकारी बहेडी की जाँच आख्या (नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकों के अनुसार) इस कार्यालय को उपलब्ध करायी है। जिसमें उल्लिखित है कि श्री सिद्धार्थ नाथ तिवारी प्रबन्धक उड़ान वर्ल्ड स्कूल तिवारी रिछोला फार्म तहसील बहेडी जिला बरेली द्वारा मानचित्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा विद्यालय की अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में मानचित्र एवं भूमि स्वामित्व अभिलेख संलग्न किये हैं तथा निर्माण के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धी बिन्दु बार आख्या निम्नवत है:

1. स्वामित्व सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है।
2– राजस्व अभिलेखों में ग्राम कोही के गाटा सं0–213 कुल रकबा 2.210है0 में श्री सिद्धार्थ नाथ तिवारी पुत्र अयोध्या नाथ तिवारी एवं मन्जीत कौर पुत्री नौनिहाल सिंह नि0 रिछोला तहसील बहेडी जिला बरेली सहखातेदार है। तहसील की आख्या अनुसार उक्त गाटा सं0–213 में श्री सिद्धार्थ नाथ तिवारी पुत्र अयोध्या नाथ तिवारी के अंश भाग में से 0.405है0 तथा मंजीत कौर पुत्री नौनिहाल सिंह का संयुक्त 0.405है0 प्रस्तावित भूमि पर विद्यालय निर्मित है। जिसे खातेदारों द्वारा 29 वर्ष 11 माह के लिए 2500/–प्रतिमाह की दर से किराये पर बालकनाथ एजुकेशनल सोसायटी ग्राम रिछोला फार्म तह0 व डाकखाना बहेडी जिला बरेली द्वारा अध्यक्ष सिद्धार्थ नाथ तिवारी पुत्र अयोध्या नाथ तिवारी नि0 रिछोला फार्म तह0 व डाकखाना बहेडी जिला बरेली को दिया गया है। किरायानामा उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकृत है।
3– प्रस्तावित भूमि का नगर पालिका व ब्लाक से कोई सम्बन्ध नहीं है।
4– प्रस्तावित भूमि में वन विभाग के पेड़ नहीं हैं।
5– चकमार्ग व चकनाली आदि एवं अन्य शासकीय भूमि प्रभावित नहीं है।
6– भूमि अकृषिक घोषित हो चुकी है।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 बरेली ने अपनी आख्या/पत्रांक शून्य दिनांक शून्य में अंकित किया है कि सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 बरेली की संस्तुति (डा0 अभिषेक अग्रवाल, चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर उड़ान वर्ल्ड स्कूल, किच्छा बहेडी रोड बहेडी को एन0बी0सी0–2005 के प्रमाण पत्र निर्गत होने की संस्तुति की जाती है।) के आधार पर नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है, के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की गयी है।

उपजिलाधिकारी बहेडी एवं संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ, तथा अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 बरेली की आख्या के अनुसार उड़ान वर्ल्ड स्कूल तिवारी रिछोला फार्म बहेडी जिला बरेली को सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0 नई दिल्ली से सम्बद्धता/शिक्षण संस्थान की मान्यता हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी गयी साक्ष्य के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि संस्था ने किसी मानकों का अनुपालन नहीं किया है तो संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी तथा प्रदत्त की गयी अनुमति तत्क्रम में स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

अपर जिलाधिकारी(प्रशा0)
बरेली।

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्धक उड़ान वर्ल्ड स्कूल तिवारी रिछोला फार्म बहेडी जिला बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

3/6/2019

अपर जिलाधिकारी(प्रशा0)
बरेली।